न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण/निगरानी याचिका कं- ..../16 नि - 1045-PBR-16

संपत सिंह आ0 स्व.श्री प्रताप सिंह

जाति राजपूत आयु लगभग 76 वर्ष,

निवासी-छिपन्या पिपरिया तहसील आमला

जिला बैतूल म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

"म.प्र. शासन द्वारा:-"
तहसीलदार आमला जिला बैतूल म.प्र. .... प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है:-

यह कि प्रतिप्रार्थी द्वारा दिनांक 25/01/16 को पुनरीक्षणकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र उनके अधीन कार्यालय पटवारी हल्का नं.-26, के प्रतिवेदन, विषय अतिकमण बावत् पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक को ख.नं.-166/2, 224 रकबा कमशः 3.904 हेक्टेयर एवं 13.083 हेक्टेयर, मद सीलिंग/शासकीय में से रकबा 3.904 हेक्टेयर एवं 13.083 हेक्टेयर पर अतिकमण कर वर्ष 2015-16 में फसल गेंहू बोकर, के आधार पर जारी किया गया है। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक को दिनांक 30/01/16 को प्रतिप्रार्थी के समक्ष में समय 11:00 बजे उपस्थित होकर कारण दर्शित करें, अन्यथा म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 248 के प्रावधानो के अंतर्गत अर्थदंड अधिरोपित कर बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। पटवारी के प्रतिवेदन के आधार दिनांक 23/01/16 को राजस्व प्रकरण कमांक 01/अ-68/15-16 दर्ज कर उक्त नोटिस जारी किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक दिनांक 30/01/16 को उपस्थित हुआ। प्रतिप्रार्थी द्वारा जवाब हेतु संक्षिप्त समय दिनांक 10/02/16 का दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक द्वारा दिनांक 10/02/16 को प्रांरभिक आपत्ति पेश की गई एवं दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया। प्रतिप्रार्थी द्वारा संक्षिप्त समय दिनांक 23/02/16 तक

निरंतर.....2

का दिया। दिनांक 23/02/16 को पुनरीक्षणकर्ता उपस्थित, दस्तावेज प्रस्तुत नही दस्तावेज पेश हेतु समय चाहा पुनरीक्षणकर्ता/ अतिक्रमणकर्ता को समक्ष सुना, अभिभाषक सहित अतिक्रमणकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर गेंहू की फसल खड़ी होने का तथ्य उल्लेख किया।

अतिक्रमणकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के निराकरण तक खड़ी गेंहू फसल को फसल कटने की स्थिति में कटाई न करें बिना न्यायालय के आदेश।

न्यायहित में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अंतिम समय दिनांक 29/02/16 दिया जाता है।

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक दिनांक 23/02/16 प्रतिप्रार्थी के उक्त अंतरिम आदेश से घोर दुखी व असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी/पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आकृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1045—पीबीआर / 16 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—7—2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—2—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि तहसीलदार के मूल प्रकरण में दिनांक 23—2—2016 को उक्त आदेशिका लिखी जाना परिलक्षित नहीं होता है । अतः आवेदक की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत आदेश की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार के मूल आदेशिका से भिन्न होने के कारण इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी भी निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	